

2022 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 7 का संशोधन।
5. धारा 8क का अन्तःस्थापन।
6. धारा 13 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

5 2. हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2019 (जिसे इसमें धारा 2 का इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (च) के पश्चात् संशोधन। निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

10 "(चक) "सामूहिक धर्म परिवर्तन" से, ऐसा धर्म परिवर्तन अभिप्रेत है जहाँ एक ही समय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किया है;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन।

(क) परन्तुक में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे; और

15 (ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि जो कोई भी उसके द्वारा माने जाने वाले धर्म से अन्यथा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह